अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

सा. का. नि. 732 (अ)—.पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) के खंड 61 के उप-खंड (2) की धारा (क) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड नामत: निम्नलिखित नियम बनाता है :

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ : (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (शुल्क एवं अन्य प्रभार उगाही) नियामक, 2007 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक–

(क) "अधिनियम" का अर्थ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 ।

(ख) "बोर्ड" का अर्थ है इस अधिनियम के खंड 3 के उप-खंड (1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ।

(ग) यहाँ पर प्रयुक्त अन्य वे सभी शब्द एवं अभिव्यक्तियां जिनको परिभाषित नहीं किया गया है उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है ।

3. शुल्क उगाही-(1) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन के लिए निम्नानुसार विनिर्दिष्ट शुल्क लिया जाएगा :

अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गतिविधियां	शुल्क (रुपए)
अधिनियम के खंड 15 के उप-खंड (2) के अंतर्गत पंजीकरण	5,00,000
अधिनियम के खंड 17 के उप-खंड (3) के अंतर्गत प्राधिकरण	5,00,000
सीजीडी प्रस्ताव :	
ए श्रेणी के शहर*	12,00,000
अन्य शहर**	8,00,000
पाइप लाइन प्रस्ताव :	
स्पर लाइन	10,00,000
ट्रंक लाइन > या=500 किलोमीटर	15,00,000
ट्रंक लाइन > या=500 किलोमीटर	20,00,000
अधिनियम के खंड 14 के उप-खंड (4) के अंतर्गत किसी प्रविष्टि की प्रमाणित पतिलिपि प्राप्त करना	1,000 प्रति प्रविष्टि
अधिनियम के खंड 25 के उप-खंड (2) के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराना	हस्तियां : 10,000 प्रति शिकायत अन्य : 1,000 प्रति सिकायत

* 2001 की जनगणना के अनुसार एक मिलियन या अधिक जनसंख्या वाले शहर ।

** 2001 की जनगणना के अनुसार एक मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहर ।

(2) शुल्क का भुगतान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश द्वारा किया जाएगा ।

IndiaCode

(3) प्राप्त शुल्क की प्रविष्टि बोर्ड द्वारा बनाए गए एक रजिस्टर में की जाएगी तथा उसमें भुगतान जमा करने वाली हस्ती या शिकायतकर्ता का नाम, जमा करने का उद्देश्य, रकम, डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश की संख्या एवं दिनांक आदि विवरण भरा जाएगा ।

4. **अन्य प्रभारों की उगाही.**—(1) **प्रचालन अवधि :** जो हस्ती इस अधिनियम के प्रावधानों में शामिल पंजीकरण और/अथवा प्राधिकरण से संबंधित किसी गतिविधि का प्रचानल कर रही है वे बोर्ड को निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार अपने टर्न ओवर पर आधारित अन्य प्रभारों का भुगतान करेगी :

टर्न ओवर	अन्य प्रभार
20,000 करोड़ रुपए तक	0.01% (2 करोड़ रुपए)
20,001 करोड़ रुपए से 50,000 करोड़ रुपए तक	0.008% (2 करोड़ रुपए + > 20,000 करोड़ का 0008%)
50,001 करोड़ रुपए से 100,000 करोड़ रुपए तक	0.005% (4.4 करोड़ रुपए + > 50,000 करोड़ का 0005%)
1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक	0.004% (4.9 करोड़ रुपए + > 100,000 करोड़ का 0004%)

(2) **निर्माण अवधि :** (क) इस अधिनियम के प्रावधानों में शामिल पंजीकरण और/अथवा प्राधिकरण से संबंधित किसी गतिविधि से संबंधित हस्ती निर्माण अवधि में वित्तीय वर्ष में परियोजित निवेश के आधार पर परियोजना पर अपने पूंजी व्यय (सीएपीईएक्स) के 0.2 प्रतिशत की दर से बोर्ड को वार्षिक आधार पर अन्य प्रभारों का भुगतान करेगी जिसे वर्ष के अंत में वास्तविक व्यय के अनुसार संशोधित कर लिया जाएगा ।

(ख) उपर्युक्त उप-धारा (क) के अंतर्गत किसी हस्ती द्वारा भुगतान दिए गए अन्य प्रभारों को ब्याज जमा माना जाएगा तथा जैसे ही यह हस्ती नियमित प्रचालन प्रारंभ कर देती है तथा उपर्युक्त उप-धारा (1) के अनुसार लागू अन्य प्रभारों के उपयुक्त स्तर को प्रतिस्थापित कर देती है वैसे ही बोर्ड इसे वापिस कर देगा ।

(3) उपर्युक्त प्रभार का भगुतान वार्षिक आधार पर हस्ती द्वारा वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने के 15 दिन के अंदर कर दिया जाएगा ।

(4) अन्य प्रभारों का भुगतान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश द्वारा किया जाएगा ।

(5) प्राप्त अन्य प्रभारों की प्रविष्टि बोर्ड द्वारा बनाए गए एक रजिस्टर में की जाएगी तथा उसमें भुगतान जमा करने वाली हस्ती का नाम, तथा क्या जमा उप-धारा (1) के अंतर्गत हुआ है अथवा उप-धारा (2) के अंतर्गत, रकम, डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश की संख्या एवं दिनांक तथा यदि भुगतान उप-धारा (2) के अंतर्गत हुआ है तो धन वापसी का विवरण भरा जाएगा ।

5. **शुल्क एवं अन्य प्रभारों की समीक्षा एवं संशोधन की शक्तियां :** इन नियामकों के अंतर्गत भुगतान किए जाने वाले शुल्क एवं अन्य प्रभार के ढांचे की बोर्ड समय-समय पर समीक्षा एवं इसमें संशोधन कर सकता है । बोर्ड किसी भी समय किसी प्रभावित पक्ष के संदर्भ पर तथा पर्याप्त एवं उचित कारणों से इन नियामकों के अंतर्गत भुगतान किए जाने वाले शुल्क एवं अन्य प्रभार के ढांचे की समीक्षा एवं इसमें संशोधन कर सकता है ।

6. **व्याख्यापक ज्ञापन :** इन नियामकों की पृष्टभूमि तथा इन्हें जारी करने का कारण अनुबंध क में व्याख्यापक ज्ञापन में दिया गया है ।

7. **विवेचना :** यदि इन नियामकों के प्रावधानों की विवेचना के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

[एस. प्रशा./II/8/8007-खण्ड-I]

अजय त्यागी, सचिव

अनुबंध क

व्याख्यापक ज्ञापन

1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के खंड 61 के उप-खंड (2) की धारा (जी) बोर्ड को नियमों द्वारा निर्धारित सेवाओं पर नियमों द्वारा निर्धारित दर से शुल्क एवं अन्य प्रभारों की उगाही के लिए शक्तियां पदान करती है ।

2. अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विभिन्न सेवाओं/गतिविधियों

पर शुल्क एवं अन्य प्रभारों की उगाही का निर्णय लिया है जिसके लिए ये नियम बनाए गए हैं ।

3. शुल्क की उगाही की आवश्यकता इस तथ्य के कारण हुई है कि बोर्ड द्वारा इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों की छंटनी तथा उनसे जुड़ी पंजीकरण, प्राधिकरण, शिकायत आदि से संबंधित प्रक्रिया से उपलब्ध सीमित नियामक संसाधनों पर दबाव पड़ता है ।

4. शुल्क की उगाही के अतिरिक्त बोर्ड को नियमों के द्वारा हस्तियों से अधिनियम के खंड 11 के अधीन विभिन्न कार्यों के लिए जाने वाले अन्य प्रभारों का स्तर भी निर्धारित करना पड़ता है । बोर्ड को पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन आदि के नियमन करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि उपभोक्ताओं तथा हस्तियों के हितों की रक्षा की जा सके तथा देश के सभी हिस्सों में विनिर्दिष्ट उत्पादों की पर्याप्त एवं निर्बाध अपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और साथ ही प्रतिस्पर्धात्मक बाजार को भी प्रोन्नत किया जा सके । बोर्ड द्वारा देखे जाने वाले उद्योग का आकार विशाल है तथा इसकी प्रकृति अलग-अलग है जिसमें अब तक 10,000 किलोमीटर से अधिक लंबी उत्पाद पाइप लाइन, 6000 किलोमीटर से अधिक लंबी प्राकृतिक गैस पाइप लाइन तथा अनेक नगर गैस वितरण नेटवर्क, 19 रिफाइनरियां, 2 एलएनजी टर्मिनल, 300 से अधिक भंडारण टर्मिनल/डिपो, करीब 200 एलपीजी भराई संयंत्र, करीब 32,000 खुदरा बिक्री केन्द्र, 100 से अधिक विमानन भराई केन्द्र, 6000 से अधिक केरोसीन डीलर, 9000 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आदि शामिल हैं। इस उद्योग पर नजर रखने के लिए उपलब्ध संसाधनों की सीमाओं को देखते हुए बोर्ड ने अपने विशाल एवं विविधीकृत कार्य को पूरा करने के लिए अन्य प्रभार लगाने का भी निर्णय लिया है ।

IndiaCode

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2007

G.S.R. 732(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of Sub-section (2) of Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement. —(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;

(b) "Board" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under Sub-section (1) of Section 3 of the Act; and

(c) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Levy of Fee.—(1) Every application under various provisions of the Act shall accompany fee as specified below :

Activity under the provisions of the Act	Fee (Rs.)
Registration under sub-section (2) of Section 15 of the Act	5,00,000
Authorisation under sub-section (3) of Section 17 of the Act—	
CGD Proposal :	
Class A city*	12,00,000
Other cities**	8,00,000
Pipeline Proposal :	
Spur lines	10,00,000
Trunk lines < or = 500 Kilometers	15,00,000
Trunk lines > 500 Kilometers	20,00,000
Obtaining a certified copy of an entry in the register under Sub-section (4) of Section 14 of the Act	1,000 per entry

IndiaCode

Filing a complaint under Sub-section (2) of Section 25 of the Act	Entities : 10,000 per complaint Others : 1,000 per complaint

*Towns with population one million and above as per 2001 Census

**Towns with population less than one million as per 2001 Census

(2) The fee shall be paid through demand draft or pay order in favour of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board payable at New Delhi;

(3) The fee received shall be entered into a register to be maintained by the Board with details such as name of the entity or complainant remitting the payment, purpose of remittance, amount, number and date of demand draft or pay order as the case may be.

4. Levy of other charges.—(1) **Operation period :** The entity who is undertaking operation of any of the activities covered under the provisions of the Act relating to registration and/or authorization, shall pay other charges to the Board on annual basis based on its turn over as per following formulation,—

Turn over	Other charges
Upto Rs. 20,000 crore	0.01% (Rs. 2 crore)
Rs. 20,001 to 50,000 crore	0.008% (Rs. 2 crore + 0.008% of > 20,000 crore)
Rs. 50,001 to 1,00,000 crore	0.005% (Rs. 4.4 crore + 0.005% of > 50,000 crore)
More than Rs. 1,00,000 crore	0.004% (Rs. 4.9 crore + 0.004% of > 1,00,000 crore)

(2) **Construction period :** (a) The entity relating to any of the activities of registration and/or authorization covered under the provisions of the Act shall pay other charges to the Board on annual basis during the construction period at the rate of 0.2 per cent of their capital expenditure (CAPEX) of the project based on projected investment in the financial year, which shall be modified at the end of that financial year as per the actual expenditure;

(b) Other charges remitted by an entity under sub-clause (a) above shall be treated as an interest free deposit and the Board shall refund such other charges once the entity commences regular operations and replaces with the appropriate level of other charges as applicable during the operation period as per sub-clause (1) above.

(3) The other charges shall be paid annually within fifteen days from the date of finalizing the annual statement of accounts by the entity.

(4) The other charges shall be paid through demand draft or pay order in favour of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board payable at New Delhi.

(5) The other charges received shall be entered into a register to be maintained by the Board with the details such as name of the entity remitting the payment, whether remittance under sub-clause (1) or sub-clause (2), amount, number and date of demand draft or pay order as the case may be and refund particulars in case of the remittance under sub-clause (2).

5. Power to review and modify fee and other charges.—The Board may from time to time, review and modify the structure of fee and other charges payable under these regulations. The Board may also at any time, on reference from any affected party, and for good and sufficient reasons, review and modify the structure of fee and other charges payable under these regulations.

6. Explanatory Memorandum.—The background and reasons for issuing these regulations are given in the explanatory memorandum at Annexure A.

7. Interpretation.—If any dispute arises with regard to the interpretation of any of the provisions of these regulations, the decision of the Board shall be final and binding.

[S-Admn/II/8/8007-Vol.I]

AJAY TYAGI, Secy.

Annexure A

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. Clause (g) of Sub-section (2) of Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 empowers the Board to levy fee and other charges at such rates and in respect of such services as may be determined by regulations.

2. In view of the powers conferred under the Act, the Board has decided to levy fee and other charges for various services/activities as provided for under the Act and hence these regulations.

3. The levy of fee has been necessitated on account of the fact that scrutiny of such a large number of applications and the process associated with them pertaining to registration, authorization, complaints etc. by the Board puts pressure on scarce regulatory resources available.

4. In addition to levy of fee, the Board is also required to determine through regulations the level of "other charges" that will be charged from entities for various functions to be discharged by under Section 11 of the Act. The Board is required to regulate the refiling, processing, storage, transportation, distribution, marketing and sale of petroleum, petroleum products and natural gas so as to protect the interests of the consumers and entities and to ensure uninterrupted and adequate supply of the specified items in all parts of the country and to promote competitive markets as well. The industry overseen by the Board is vast and varied in nature, covering as of now over 10,000 km of product pipelines, over 6000 km of natural gas pipelines and a number of city gas distribution networks, 19 refineries, 2 LNG tenrminals, over 300 storage terminals/depots, around 200 LPG bottling plants, around 32,000 retail outlets, over 100 aviation fueling stations, over 6000 kerosene dealers, over 9,000 LPG distributorships, etc. Considering the limitation on the available resources for the purpose of overseeing this industry, the Board has also decided to levy "other charges" for discharging its vast and varied functions.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.